भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2815

जिसका उत्तर मंगलवार 13 मार्च, 2018 को दिया जाना है

भारी उद्योगों को प्रोत्साहन

2815. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गुजरात में राजकोट भारी उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र बनकर उभरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान सौराष्ट्र और राजकोट में औद्योगिक उत्पादन का मूल्य क्या है; और

(घ) क्या व्यापार को सुकर बनाने में सुधार में सरकार की सफलता का इस क्षेत्र के उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग): उद्योग राज्य का विषय है और इसलिए, भारी उद्योग विभाग गुजरात सहित देश के किसी भी भाग में कार्य कर रहे भारी उद्योगों के प्रत्साहनों के संबंध में कोई केंद्रीकृत आकड़ें नहीं रखता है। भारी उद्योग विभाग की भूमिका केवल उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रशासन तक सीमित है जो इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। चूंकि "उद्योगों की स्थापना" से संबंधित विषय को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, अनेक राज्यों में उद्योगों के विकास और वृद्धि के लिए प्रोत्साहन और योजनाएं बनाई है और ये राज्य अपनी प्राथमिकताओं और निवेश के माहौल के अनुसार उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए, इस प्रकार के ब्यौरे केवल उन्हीं के पास उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय के माध्यम से समूचे देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में प्रोत्साहन भी उपलब्ध कराती है।

(घ): वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने सूचित किया है कि वे समूचे देश में व्यापार सुधारों को कार्यान्वित करते हैं और कारोबार करने में सुधार के कारण एक विशेष क्षेत्र में उद्योग पर प्रभाव के संबंध में सूचना/आकड़ें उनके द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

******